(क) क्या यह सच है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कोई कार्यकलाप आरंभ करने से पहले बैंकों में रखी गई इस योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि को खर्च करने के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ स्थानों पर उक्त ब्याज-राशि संबंधित सांसदों की सिफारिश पर खर्च की जा रही है, परन्तु ऐसे निदेशों के अभाव में इसे अन्य स्थानों पर उपायुक्तों/जिलाधीशों द्वारा खर्च नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ब्याज की इस राशि को संबंधित सांसदों की सिफारिश पर विकास कार्यों पर खर्च करने के संबंध में स्पष्ट निदेश जारी करने का विचार रखती है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ग) सभी जिला कलेक्टरों को निदेश दिया गया है कि चाहे कोई भी प्रयोजन हो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि का उपयोग न करें। तथापि, ऐसे कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें ब्याज की राशि का उपयोग किया गया है। संबद्ध जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि में से खर्च की हुई राशि लौटाकर उसकी अनुपूर्ति करें। ब्याज की राशि के उपयोग से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है।

विलम्ब से चल रही परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

268. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1996 के अंत में देश में निर्माणधीन 100 करोड़ रुपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं में से उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है, जो अपने मूल निर्धारित समय से पीछे चल रही है, जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई है;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी वजह से प्रत्येक मंत्रालय पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ङ) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पास उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार दिनांक 31-12-1996 तक 100 करोड़ रुपए तथा उनसे अधिक की लागत वाली 199 परियोजनाएं थीं। उन 199 परियोजनाओं में से 122 परियोजनाएं अपने मूल निर्धारित समय से पीछे चल रहीं थी। विलंबित परियोजनाओं के कारण लागत में 39885 करोड़ (उनतालिस हजार आठ सौ पचासी करोड़) रुपए की वृद्धि हुई। निमार्णाधीन परियोजनाओं का मंत्रालय-वार ब्यौरा एवं लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 181, अनुपत्र संख्या 8]**

असंतुलित विकास की समस्या

269. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में आठवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भी असंतुलित विकास की स्थिति विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने नवीं पंचवर्षीय योजना बनाने से पहले असंतुलित विकास की समस्या तथा उसके कारणों के संबंध में सूचना एकत्र की है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा सरकार नवीं पंचवर्षीय योजना में असंतुलित विकास को रोकने के लिए क्या-क्या नए कदम उठाने का विचार रखती है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देहरेश्वर सवनूर): (क) से (ग) किसी क्षेत्र की आयोजना एवं विकास सम्बन्धित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, फिर भी केन्द्र सरकार संशोधित गाडगिल फार्मूले, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तथा वित्त आयोग द्वारा गैर योजना संसाधनों के हस्तान्तरण के अन्तर्गत संसाधनों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया के माध्यम से राज्यों की मदद करती है;

क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना योजना प्रक्रिया का एक अनिवार्य उद्देश्य है, फिर भी इन उद्देश्यों के क्रियान्वयन में क्षेत्र की कुछ अन्तर्निहित, ऐतिहासिक एवं

अन्य विशेषताओं जैसे संसाधनों की स्थायी निधियों में भिन्नता, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता में असमानता, भू-आकृतिक कारक तथा भौगोलिक दशाओं के कारण मन्दता आती है।

(घ) नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र ने सहकारी संघवाद के ढांचे का सुझाव दिया है जिसमें पड़ोसी राज्य समन्वित तरीके से, अपने-अपने पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु साझा रणनीतियां अपनायेंगे। पिछड़े क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने तथा परिवहन एवं संचार के संदर्भ में सुधरी हुयी सम्पर्कता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र एवं शेष राष्ट्र के मध्य एकता की भावना में वृद्धि करने पर जोर दिया गया है;

गुजरात को आर्थिक सहायता

270. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता धनराशि में केवल दस प्रतिशत की वृद्धि की गई थी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात को प्रदान की गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष-वार कितनी सहायता धनराशि की वृद्धि की गई;

(घ) क्या उक्त वर्षों के दौरान औद्योगिक श्रम लागत सूचकांक लगातार बढ़ा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त औद्योगिक श्रम लागत सूचकांक में वर्ष-वार हुई वृद्धि-दर कितनी थी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रत्नमाला देवेन्द्रप्पा सवनूर): (क) से (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात सरकार को योजना अवधि हेतु तय 995.05 करोड़ रु० की राशि के मुकाबले 1385.49 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गयी। सहमति स्तर की तुलना में केन्द्रीय सहायता में वास्तविक वृद्धि 39.23 प्रतिशत बैठती है, आठवीं योजना के दौरान राज्य को दी गयी निबल सामान्य केन्द्रीय सहायता के वर्ष वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	निबल सामान्य केन्द्रीय सहायता (रु० करोड़)
1992-93	174.79
1993-94	235.00
1994-95	246.69
1995-96	331.08
1996-97	397.93
	1385.49

(ग) योजना आयोग राज्यों की वार्षिक योजनाओं को ब्लॉक अनुदान एवं ऋण प्रदान करता है, वह कोई सब्सिडी प्रदान नहीं करता है;

(घ) और (ङ) आठवीं योजना हेतु औद्योगिक श्रम लागत अनुक्रमणिका उपलब्ध नहीं है, हालांकि, 1990-91 से 1992-93 हेतु उपलब्ध औसत औद्योगिक श्रम लागत निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रति श्रम दिवस की औसत श्रम लागत (रु०)
1990-91	109.09
1991-92	125.23
1992-93 (पी)	134.53

देश में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं

271. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में चलाई जा रही गरीबी उन्मूलन योजनाओं का गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन योजनाओं के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर लाए गए गरीब लोगों की संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?